18

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 96/2021

योगेश कुमार कृष्णिया, वरिष्ठ सहायक (निलम्बित), पता जी–272, न्यू कॉलोनी, पीडब्ल्यूडी आवास, परमवीर पीरूसिंह स्कूल के पीछे, झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 15.07.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 21.06.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 96/2021 पर दिनांक 21.06.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/1736–37 दिनांक 21.06.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं ने पत्रांक आर0टी0आई0/2021/307 दिनांक 13.07.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक द्वारा सूचना चाही गई है कि उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं के पत्र कमांक 345 दिनांक 09.10.2020 द्वारा अवगत करवाया गया है कि उपखण्ड कार्यालय के पत्र कमांक 58–59 दिनांक 31.01.2020 के सलंग्न के द्वारा प्रार्थी को अभिलेखों की प्रतिलिपियां उपलब्ध करवाई गई है। उक्त पत्र की प्रतिलिपि तथा प्रार्थी द्वारा उक्त पत्र को रिसीप्ट करने की प्रतिलिपि तथा उक्त पत्र के सलंग्न समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपियां उपलब्ध करावें। आवेदक द्वारा उसके विरूद्व आरोप पत्र अन्तर्गत नियम 16 सीसीए मे जबाब प्रस्तुत करने हेतु अभिलेखों की नकल उपलब्ध कराने एवं अभिलेखों का अवलोकन करने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 07.01.2020 प्रस्तुत करने पर जरिये रजिस्टर्ड पत्र इस कार्यालय के पत्र कमांक 58–59 दिनांक 31.01.2020 के द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। इस कार्यालय मे उपलब्ध रिकार्ड की प्रति आवेदक को उपलब्ध करवाई गई जिसकी प्राप्ति के हस्ताक्षर है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लो0सू0अ0 (उपखण्ड अधिकारी) झुंझुनूं द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक आर0टी0आई0/2021/307 दिनांक 13.07.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदक उनके कार्यालय के पत्र कमांक 58–59 दिनांक 31.01.2020 के द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। उपलब्ध करवाई गई सूचना के कम मे प्राप्ति के हस्ताक्षर है। अतः अपीलार्थी की अपील [illegible] विचार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि [illegible] द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकता है।

आदेश आज दिनांक 15.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.08.18 10:47:52 IST
Reason: SelfAttested

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं